पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

(श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय के पीछे, सीकर-332001)
टेलीफोन नं. 01572-272100, 273100, 273200 टेलीफेक्स 01572-273100
वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई-मेल: reg.shekhauni@gmail.com

प्रबन्ध मण्डल की चतुर्थ बैठक का दिनांक 15.07.2016 (शुक्रवार) कार्यवृत

दिनांक 15.07.2016 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर की प्रबंध मण्डल की चतुर्थ बैठक कुलपति कक्ष में दोपहर 02:00 बजे आयोजित की गई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहें –

1.	श्री के.बी. गुप्ता	अध्यक्ष (कुलपति)
2.	श्री गोरधन वर्मा	मा. सदस्य (मा. विधायक, धोद)
3.	श्री बंशीधर खण्डेला	मा. सदस्य (मा. विधायक, खण्डेला)
4.	प्रो. सी.बी. गेना	मा. सदस्य (प्रख्यात शिक्षाविद)
5.	डॉ. धर्मचंद जैन	मा. सदस्य (प्रख्यात शिक्षाविद)
6.	प्रो. एम. जेड. कुरेशी	मा. सदस्य
7.	प्रो. रामस्वरूप जाखड़	मा. सदस्य
8.	डॉ. जी.एस. कलवानियां	प्रतिनिधि, उच्च शिक्षा
9.	श्री कैलाश चंद सांखला	वित्त नियंत्रक (विशेष आमंत्रित सदस्य)
10.	श्री पी.सी. चौधरी	सदस्य सचिव (कुलसचिव)

सर्वप्रथम मा. कुलपति महोदय द्वारा सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया गया एवं सदन ने नये कुलपति का पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में श्री के.बी. गुप्ता को बधाई दी। श्री के.बी. गुप्ता, माननीय कुलपति महोदय ने सदन को अवगत करवाया कि यह विश्वविद्यालय नया है, इसलिए प्रारम्भ में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए यह बॉडी विश्वविद्यालय के भावी विकास की सोच के साथ उपयुक्त निर्णय लेगी, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। तत्पश्चात कुलसचिव द्वारा बिन्दुवार मिटिंग के एजेण्डा प्रस्तुत किये गये जिस पर सर्वसम्मति से विचार कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु	निर्णय
1.	गत बैठक दिनांक 15.10.2015 की कार्यवाही का अनुमोदन। कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न है।	प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 15.10.2015 का कुछ संशोधन के साथ अनुमोदन किया। बैठक दिनांक 15.10.2015 के बिन्दु संख्या 2 (i) में विश्वविद्यालय की सार्वमुद्रा में स्थापित वर्ष को केवल एक बार लिखना बताया तथा साथ ही पुस्तक में ध्येय वाक्य की पुनरावृति हो, इस संशोधन के साथ अनुमोदित किया। बैठक दिनांक 15.10.2015 के बिन्दु संख्या 2 में एजेण्डा आईटम नं. 14 के संदर्भ में

		निरीक्षण टीम में तीनों सदस्य राज्य के किसी भी सामान्य राजकीय महाविद्यालय के व्याख्याता, यथासंभव हो तो एक व्याख्याता राजकीय बी.एड. महाविद्यालय से भी हो। माननीय सदस्य श्री सी.बी. गैना ने बताया कि विश्वविद्यालय का बेज केसरिया रंग का हो, जो कि वीरों को समर्पित है एवं उसके अंदर विश्वविद्यालय की सार्वमुद्रा बनी हुई हो, साथ ही टीशर्ट का रंग भी केसरिया हो।
2.	गत तीन वर्षों के बजट आंवटन/निजी आय व्यय विवरण पर चर्चा।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
3.	सत्र 2015–16 में निरीक्षण दल की मण्डल एवं बोर्ड ऑफ इन्सपेक्शन BOI की अनुशंषाओं एवं सक्षम स्तर के अनुमोदन के पश्चात बी.एड., एम.एड. एवं अकादमिक महाविद्यालयों को जारी सम्बद्धता का अनुमोदन :– राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले जिला सीकर एवं झुन्झुनू में अवस्थित बी.एड., एम.एड., अकादमिक एवं विधि महाविद्यालयों का रिकार्ड सत्र 2015–16 की सम्बद्धता हेतु प्राप्त कुल 408 महाविद्यालयों (अकादमिक महाविद्यालय सीकर–127, झुन्झुनू–123, बी.एड. महाविद्यालय सीकर–84, झुन्झुनू–64, एम.एड. महाविद्यालय सीकर–3, झुन्झुनू–3 एवं विधि महाविद्यालय सीकर–2, झुन्झुनू–2) पत्रावलियां स्थानान्तरित किये जाने के बाद सत्र 2015–16 की सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु बोर्ड आफ इन्सपेक्शन की दिनांक 08.08.2015, 31.10.2015 व 16.11.2015, 10.12.2015, 17.12.2015, 29.12.2015, 20.01.2016, 19.03.2016 व बी.ओ.आई. सब कमेठी बैठक दिनांक 20.12.2015 को आहूत की जाकर जिन महाविद्यालयों द्वारा सीट अभिवृद्धि, नवीन कोर्स, नवीन महाविद्यालय हेतु सम्बद्धता चाही थी का गठित किये गये निरीक्षण दलों से निरीक्षण करवाया जाकर	सत्र 2015–16 में जारी सम्बद्धता आदेश संलग्न के रूप में नहीं होने के कारण माननीय सदस्य सी.बी. गैना ने बताया कि भविष्य में बैठक में सारे संलग्नक सभी सदस्यों के पास भेजे जाने चाहिए। संलग्नक नहीं होने के कारण अनुमोदन नहीं हो सका।

	निरीक्षण दल की एव बी.ओ.आई की अनुशंषाओं अनुसार सक्षम स्तर के अनुमोदन उपरान्त इस कार्यालय के विभिन्न आदेश क्रमांकों के तहत सम्बद्धता आदेश जारी किये गये। प्रबन्ध मण्डल की बैठक में बी.ओ.आई की सत्र 2015–16 में आयोजित बैठकों एवं सम्बद्धता हेतु जारी उपरोक्त आदेशों का अनुमोदन करवाया जाना है।	
4.	दिनांक 19.03.2016 को आयोजित बी.ओ.आई. बैठक में सत्र 2016–17 के लिए सम्बद्धता प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न प्रकरणों के संबंध में अनुशंषाएं की गई जिनके अनुसार सम्बद्धता शाखा कार्य कर रही है, का अनुमोदन करवाया जाना प्रस्तावित है।	संलग्नक नहीं होने के कारण अनुमोदन नहीं हो सका।
5.	दिनांक 23.05.2016 को आयोजित बी.ओ.आई. बैठक में भी 2016–17 की सम्बद्धता प्रक्रिया को लेकर की गई अनुशंषाओं के अनुसार सम्बद्धता शाखा कार्य कर रही है।	संलग्नक नहीं होने के कारण अनुमोदन नहीं हो सका।
6.	दिनांक 02.07.2016 को आयोजित बी.ओ.आई. बैठक में बी.एड. कॉलेज के निरीक्षण, Increase Intake, Fresh Course, New Course, New College के लिए आवेदन करने वाली संस्थाओं के निरीक्षण एवं दस्तावेज जांच पश्चात सम्बद्धता आदेश जारी करने, शुल्क सम्बन्धी एवं अन्य प्रकरणों से संबंधित अनुशंषाएं की गई जिनके अनुसार सम्बद्धता शाखा प्रक्रिया अपना रही है, का अनुमोदन प्रस्तावित है।	बी. एड. महाविद्यालयों के निरीक्षण के संदर्भ में सदन ने निर्णय लिया कि समयाभाव के कारण समस्त बी.एड. महाविद्यालयों को अंतरिम अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर दिया जावे कि वे महाविद्यालय दिनांक 01 अगस्त, 2016 तक अपने समस्त स्टाफ के मूल दस्तावेज विश्वविद्यालय में जमा करवा देंगे। जो महाविद्यालय विश्वविद्यालय में दस्तावेज प्रस्तुत कर देंगे, उन्हें सत्र 2016–17 के अस्थाई सम्बद्धता प्रदान कर दी जावेगी एवं जो महाविद्यालय दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, तो उनकी अंतरिम अस्थाई एनओसी स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी। अकादमिक महाविद्यालयों के संबंध में सदन ने निर्णय लिया कि सम्बद्धता अभिवृद्धि के लिए अस्थाई सम्बद्धता दे दी जावे तथा साथ ही इन महाविद्यालयों का सत्र 2017–18 के लिए निरीक्षण इसी सत्र 2016–17 में करवा लिये जावें। New

		Subject, New Course, New College के लिए आवेदन करने वाली संस्थाओं के निरीक्षण करवाकर उन्हें अस्थाई सम्बद्धता दी जावे।
7.	विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा, राज्यपाल सचिवालय, जयपुर के पत्रांक एफ. 43(1)आरबी/2012/1074 दिनांक 10 फरवरी, 2016 के निर्देशानुसार नये कुलपति की नियमित नियुक्ति किये जाने के लिए चयन समिति में प्रबन्ध मण्डल द्वारा एक सदस्य का मनोनयन।	श्री बी.एल. चौधरी, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर को सदन ने सर्वसम्मति से मनोनीत किया।
8.	कटराथल आदर्श ग्राम के विकास के लिए योजना स्वीकृत करना – जिला कलेक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 2290 दिनांक 22.04.2016 कं अनुसार आदर्श ग्राम/स्मार्ट विलेज कटराथल को विकसित करने के लिए विविध विकास कार्यो हेतु 25.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।
9.	विश्वविद्यालय के परिसर निर्माण हेतु भवन का नक्शा बनवाने का प्रस्ताव – भवन निर्माण का नक्शा तैयार करवाने के लिए प्रबन्ध मण्डल के स्तर पर नक्सा बनाने वाली एजेन्सी का निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है।	माननीय सदस्य सी.बी. गैना एवं धर्मचंद जैन ने सुझाव दिया कि बीकानेर विश्वविद्यालय से मास्टर प्लान का नक्शा मंगवाकर उसी की तर्ज पर विश्वविद्यालय भवन का नक्शा तैयार करवाया जावे, साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा आर्किटेक्ट नियुक्त कर मास्टर प्लान बनवाने की कार्यवाही शुरू कर दी जावे।
10.	**Academic Council का एजेन्डा** विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के शोधार्थियों के शोध कार्य के लिए विश्वविद्यालय में शोध अनुभाग की स्थापना–आर्डिनेन्श 332 के अनुसार रिसर्च बोर्ड में निम्न सदस्य होगें – 1. वाइस चांसलर – चेयरमैन 2. प्रो. वाइस चांसलर – (लागू नहीं) 3. विश्वविद्यालय का सबसे सिनियर प्रो. –(लागू नहीं) 4. अध्ययन केन्द्र का निदेशक– (लागू	शोध अनुभाग की स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। डीनस् ऑफ फैकल्टी में प्रत्येक संकाय के सीनियर मोस्ट मेम्बर को लिया जावे। विविध फैकल्टी का प्रतिनिधि करने वाले तीन–तीन सदस्य और लिये जावें।

	नहीं) 5. डीनस् ऑफ फेक्लटी –(समस्त प्राचार्य, कॉलेज) 6. प्रत्येक फैक्लटी का सबसे सिनियर प्रो.– (लागू नहीं) 7. विविध फैक्लटी का प्रतिनिधि करने वाले तीन सदस्य – (लागू) बोर्ड की अनुशंषाएं अकादमिक परिषद् में रखी जायेगी। गुणवतायुक्त शोध कार्य रिसर्च बोर्ड द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।	
11.	विश्वविद्यालय परीक्षा कार्य के लिए 05 मिनी बस 01 बोलेरो गाड़ी किराये पर लिऐ जाने का प्रस्ताव– टेण्डर प्रक्रिया के जरिये 05 मिनी बसें 01 बोलेरो गाड़ी किराये पर ली गई है। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	सदन ने इस पर सहमति जताई तथा अनुमोदन किया।
12.	कार्याधिक्य के मध्य नजर विश्वविद्यालय की विभिन्न शाखाओं में पदों की स्वीकृत संख्या में वृद्वि– वर्तमान में विश्वविद्यालय में 53 पद स्वीकृत है। कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रक के पदों के अतिरिक्त अन्य पदों को दुगुना किया जाना प्रस्तावित हैं।	महाविद्यालयों की संख्या एवं छात्र संख्या को देखते हुए माननीय सदस्यों ने पदों को दुगुना करने पर सहमति व्यक्ति की तथा सुझाव दिया कि कुलसचिव सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करें।
13.	स्पोटर्स बोर्ड का कार्यकाल 30.4.2016 को समाप्त हो गया है। इसके पुनः गठन हेतु कार्यवाही–इस विश्वविद्यालय के स्पोटर्स बोर्ड का गठन राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की हैण्डबुक के O-341 के अनुसार निम्न प्रकार किया जा सकता है – Ordinance 341 (1) के अनुसार 02 सदस्य विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल में से। Ordinance 341 (2) लागू नहीं है। Ordinance 341 (3) आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर पदेन सदस्य। Ordinance 341 (4) कुल 04 सदस्य मनोनीत किये जाने है इनमें 03 सम्बद्ध महाविद्यालयों से प्रबन्ध मण्डल के द्वारा मनोनीत किये जाने है। इनमें	विश्वविद्यालय की महिला वॉलीबाल टीम द्वारा अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने पर सदन ने खुशी व्यक्त की। सदन द्वारा माननीय विधायक गोरधन वर्मा को पुनः अध्यक्ष मनोनीत किया गया। साथ ही श्री रामस्वरूप जाखड़, प्राचार्य को भी मनोनीत किया।

	से 01 अनिवार्य रूप से मेडिकल, आयुर्वेद, इन्जिनियरिंग तथा शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों से होगा। शेष 02 राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षकों में से मनोनीत किये जाने है। 01 सदस्य का मनोनयन विश्वविद्यालय शिक्षकों से किये जाना है। Ordinance 341 (5) होद/झुंझुनू/सीकर/नीम का थाना के कन्या महाविद्यालयों से 01 प्राचार्य को महिला खेलकूद गतिविधियों को सम्पादित करवाने के लिए। Ordinance 341 (6) छात्र महाविद्यालय का 01 प्राचार्य। Ordinance 341 (7) लागू नहीं है। Ordinance 341 (8) सदस्य सचिव विश्वविद्यालय अध्यापन वर्ग में से। प्रबन्ध मण्डल में अपेक्षित है कि O-341(1) के मुताबिक 02 सदस्य स्वयं में से नियुक्त करें। O-341(4) के मुताबिक सम्बद्ध महाविद्यालयों से 03 प्रशिक्षक/निदेशक नियुक्त किया जाना है जिनमें 02 राजकीय महाविद्यालय से एवं 01 बी.एड महाविद्यालय से मनोनीत किया जाना है। O-341(5) के मुताबिक 01 प्राचार्य कन्या महाविद्यालय से मनोनीत किया जाना है। O-341(6) के मुताबिक 01 प्राचार्य छात्र महाविद्यालय से मनोनीत किया जाना है। O-341(8) के मुताबिक 01 सदस्य सचिव विश्वविद्यालय शिक्षक वर्ग में से होना चाहिए परन्तु विश्वविद्यालय में अध्यापन वर्ग नहीं है।	
14.	राजस्थान विश्वविद्यालय के अनुरूप इस विश्वविद्यालय में सम्बद्धता नियमों का अनुमोदनः— पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के नियमों के अनुरूप	सदन द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया तथा नियमों को वेबसाईट पर अपलोड करने की सहमति व्यक्त की।

	ही संचालित हो रहा है । अतः बी.ओ.आई. की अनुशंषा अनुसार राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के सम्बद्धता नियमों को अक्षरशः इस विश्वविद्यालय का नाम दिया जाकर महाविद्यालयों की जानकारी हेतु वेबसाईट पर अपलोड किया जाना है ।	
15.	विश्वविद्यालय की न्यायिक प्रकरणों में पैरवी हेतु पैनल लायर नियुक्ति करने पर चर्चा कर आवश्यक अनुशंषा करना प्रस्तावित है।	न्यायिक प्रकरणों पर निस्तारण के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त वकील की अनुशंषा की गई तथा वकील को दी जाने वाले फीस के संबंध में माननीय सदस्यों ने बताया कि सभी राजकीय विश्वविद्यालयों से सम्पर्क कर फीस निर्धारित कर ली जावे। माननीय सदस्य सी.बी. गैना ने इस पर अपने विचार व्यक्त किया कि न्यायिक प्रकरणों में पैरवी के लिए दो पैनल बनाये जावें– लोवर कोर्ट पैनल एवं हायर कोर्ट पैनल। इस पर माननीय सदस्यों ने दोनों पैनल बनाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
16.	इस विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय B.A- B.Ed, एवं B.Sc- B.E.d तथा 3 वर्षीय इन्टिग्रेटेट बी.एड, एम.एड़ कार्स प्रारम्भ करने का अनुमोदन– एनसीटीई एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार उपरोक्त नवीन कोर्सेज हेतु सत्र 2016–17 एवं 2017–18 के लिए एनओसी जारी की गई है। इन नवीन कोर्सेज की स्वीकृति का अनुमोदन किया जाना प्रस्तावित है।	अगली बैठक के लिए डैफर किया गया।
17.	विश्वविद्यालय के कुलगीत की रचना–माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के निर्देशानुसार (पत्रांक एफ. 1(23)आरबी/2016/3907 दिनाक 16.05. 2016) विश्वविद्यालय के इतिहास व गौरव की झलक को परिलक्षित करने एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कार्मिको, व विद्यार्थियों का विश्वविद्यालय से तथा आपस में एकत्व व अपनापन विकसित करने वाले कुलगीत की रचना किया जाना प्रस्तावित है।	माननीय सदस्य सी.बी. गैना ने बताया कि विश्वविद्यालय का कुलगीत होना चाहिए, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय, शेखावाटी क्षेत्र की छवि झलकती हो। माननीय सदस्य बंशीधर खण्डेला ने सुझाव दिया कि इसके लिए प्रतियोगिता रखवा दी जावे एवं प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को रू. 11,000 का ईनाम भी दिया जावे। इसके लिए शेखावाटी क्षेत्र के कवियों की एक माह का समय देकर दैनिक अखबारों

		में विज्ञापन दिया जावे तथा वेबसाईट पर भी डाला जावे।
18.	राष्ट्रीय व्यक्तित्वों पर शोध हेतु शोध पीठ की स्थापना–माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के निर्देशानुसार (पत्रांक एफ. 1(23)आरबी/2016/3905 दिनाक 16.05. 2016) विश्वविद्यालय द्वारा देश के किसी एक महान व्यक्तित्व पर शोध हेतु एक शोध पीठ की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।	पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम से शोधपीठ की स्थापना की जावे। सदन ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।
19.	विभिन्न अकादमिक एवं प्रशैक्षिक महाविद्यालयों की संबद्धता हेतु बी.ओ.आई. द्वारा निर्धारित निरीक्षण प्रारूपों का अनुमोदन किया जाना प्रस्तावित है।	संलग्नक नहीं होने के कारण अनुमोदन नहीं हो सका।
20.	दिनांक 15.10.15 की बी.ओ.एम. बैठक में निर्धारित विश्वविद्यालयी परीक्षा से सम्बंधित कार्यों के मानदेय की पालना के सम्बन्ध में विचार किया जाना प्रस्तावित है।	मानदेय देने के प्रस्ताव पर सदस्यों ने कहा कि यह निर्णय पूर्व बैठक में लिया जा चुका है एवं इसी कमिटमेन्ट पर कार्य करवाया गया है, इसलिए दरें महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर की ही ली जावें। साथ ही तत्कालीन कुलसचिव के विसम्मति मत पर मा. सदस्य धर्मचन्द जैन ने सदन को अवगत करवाया कि राजभवन को केवल कुलपति ही पत्र भेज सकता है एवं मा. कुलपति को निर्देशित किया कि वे स्वयं राजभवन को बीकानेर विश्वविद्यालय की दरें अपनाने के संबंध में कमेंट पत्र लिखें।
21.	4 वर्षीय बी.ए., बी.एड. एवं बी.एसी. बी.एड., 3 वर्षीय बी.एड.– एम.एड., बी.पी.ई.एड. एवं एम. पी.एड. इत्यादि इन्टीग्रेटेड कोर्सेज की एन. ओ.सी. दिये जाने हेतु शुल्क निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है।	अगली बैठक के लिए डैफर किया गया।
22.	राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप 4) विभाग के पत्र क्रमांक 2015 दिनांक 16.06.2016 के संदर्भ में इस विश्वविद्यालय में शैक्षणिक विभागों की स्थापना के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव मय औचित्य के तैयार करवाया जाकर भिजवाया जाना है तद्नुसार शैक्षणिक	माननीय सदस्य सी.बी. गैना एवं धर्मचन्द जैन ने बताया कि यू.जी.सी. के नॉर्म्स के अनुसार विश्वविद्यालय में कम से कम पाँच विभाग होने चाहिए। शैक्षणिक विभागों की स्थापना के संबंध में माननीय सदस्यों ने निम्न विभाग खोलने

	पद भी स्वीकृत करवाये जाने है एतदर्थ इस संबंध में विचार कर शैक्षणिक विभागों की स्थापना बाबत अनुशंषाए की जानी प्रस्तावित है।	पर विचार करने के सुझाव दिए– 1. भूगोल 2. मिलिट्री साइन्स 3. कम्प्यूटर साइन्स 4. अंग्रेजी 5. व्यावसायिक प्रशासन 6. साईबर क्राईम साथ ही माननीय सदस्य सी.बी. गैना ने सुझाव दिया कि एकेडमिक काउंसिल से अनुशंषा करवाकर विभाग खोले जावें।
23.	बाबा श्यामऋषि संस्कृति महिला पी.जी. कॉलेज, प्रज्ञा नगर खाटूश्यामजी, जिला सीकर एवं गुरूकुल महाविद्यालय, चौमू पुरोहितान, खाटूश्यामजी, जिला सीकर दोनों महाविद्यालयों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर निरीक्षण मण्डल के समक्ष रखा गया। इन महाविद्यालयों की सम्बद्वता पर अन्तिम निर्णय प्रबन्ध मण्डल द्वारा लिया जाना प्रस्तावित है।	इस मामले की जांच करवाई जावे तथा साथ ही राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से दोनों महाविद्यालयों के समस्त दस्तावेज मंगवाकर देखे जावें। जांच के लिए 03 सदस्यीय जांच कमेटी बनाये जाने की अनुशंषा की तथा साथ ही शीघ्र कार्यवाही करवाई जाने का प्रस्ताव दिया।
24.	BoS/CoC की बैठक दिनांक 05.07.2016 के कार्यवृत का अनुमोदन किया जाना प्रस्तावित है।	इस बिन्दु पर समयाभाव के कारण चर्चा नहीं हो सके।
25.	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य एजेण्डा बिन्दु– 1. बिना सम्बद्धता लिये परीक्षा करवाने वाले 17 महाविद्यालयों पर पैनल्टी एवं उन विद्यार्थियों की परीक्षा करवाने के संबंध में प्रस्ताव	दिनांक 02.07.2016 की बैठक के निर्णय बिना सम्बद्धता लिये परीक्षा करवाने वाले महाविद्यालयों पर पैनल्टी एवं छात्र हित में उन छात्रों को प्राइवेट विद्यार्थी बनाकर परीक्षा करवाने पर सदन ने सहमति जताई तथा माननीय सदस्य डी. सी. जैन ने बताया कि यहां बहुत अराजकता फैली हुई है। साथ ही माननीय सदस्य सी.बी. गैना एवं धर्मचन्द जैन ने सुझाव दिया कि अगर महाविद्यालय शास्ति शुल्क जमा नहीं करवाते हैं तो उनकी सत्र 2016–17 के लिए सम्बद्धता तुरन्त प्रभाव से निलम्बित की जावे एवं उन महाविद्यालयों के परीक्षा परिणाम रोक लिये जावें। साथ ही सदन ने इस निर्णय पर सहमति व्यक्त की

		कि प्राइवेट विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं करवा दी जावें। उन 17 महाविद्यालयों के छात्रों को स्वयंपाठी मानकर व जो डिफरेंस फीस जमा करायें, उनकी प्रायोगिक परीक्षा करवा दी जावे। इन 17 महाविद्यालयों को शास्ति शुल्क व डिफरेन्स फीस जमा कराने के लिए 07 दिन का वक्त देने की अनुशंषा की गई।
	2. कॉपी चैक करवाने के लिए Private Colleges के कॉर्डिनेटर नियुक्त करने के संबंध में प्रस्ताव	कॉर्डिनेटर उन्हीं को नियुक्त किये जावें जो उस महाविद्यालय का प्राचार्य हो तथा कॉर्डिनेटर यह ध्यान रखें कि जिनसे कॉपी जांच करवायें उन शिक्षकों को कम से कम 05 वर्ष का कार्यानुभव हो तथा साथ ही वह उस निजी महाविद्यालय में काम कर रहा हो। कार्यानुभव सर्टिफिकेट कॉर्डिनेटर द्वारा जमा कर लिये जावें। राजकीय महाविद्यालयों के सेवानिवृत व्याख्याताओं से कॉपी जांच करवाने का काम करवाने की अनुशंषा की गई।
	3. सैलर भवन निर्धारित करने का प्रस्ताव	श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय के छात्र छात्रावास को रिपेयर करवाकर सैलर जैसा भवन बनाया जावे, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज में कमी आवे तथा साथ ही विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के नजदीक होने के कारण इस भवन को सैलर बनाने की अनुशंषा की गई।
	4. विश्वविद्यालय को और भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव	विश्वविद्यालय की चारदीवारी रोड़ कांग्रेस के अनुसार बनवाई जावे तथा विश्वविद्यालय भवन के लिए प्रशासन से और जमीन का आवंटन करवा लिये जावे।

कुलसचिव